P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-12* March- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

# भारत में सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ और श्रमिक सुरक्षा

## Social Security Policies and Worker Safety in India

Paper Submission: 15/03/2020, Date of Acceptance: 28/03/2020, Date of Publication:30/4/2020

**आर. एस. त्रिपाठी,**
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी,
(म0प्र0) भारत

**दीपमाला तिवारी**
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग,
रा.दु. विश्वविद्यालय.,
जबलपुर (म.प्र.) भारत

**सारांश**

भारत में सामाजिक सुरक्षा नीतियों का श्रमिकों के संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। इस लेख में नई श्रम संहिता को भी सामने रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव के पूववर्ती मूल्यांकन का निष्कर्ष परिस्थिति एवं कार्य–स्थान, श्रमिक संघों का प्रयत्न और अंत में उदारीकरण के प्रभावों का वर्णन किया गया है।

Social security policies in India have been interpreted in terms of workers. The New Labor Code has also been put forward in this article. The conclusion of the earlier evaluation of the impact of social security schemes described the situation and place of work, the efforts of labor unions and finally the effects of liberalization

**मुख्य शब्द :** श्रम कानून, परिवार पेंशन, सुरक्षा, औद्योगिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
Labor Law, family Pension, Security, Industrial Reform, Liberalization, Privatization, Health Protection, Foreign Direct investment in mining sector.

**प्रस्तावना**

भारत में श्रमबल 50 करोड़ का है जो पूरे देश में कार्यशील है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं जो श्रम सुधार को आधुनिक तरीके से विचारयुक्त बनाते हैं। असंगठित श्रम क्षेत्र विशाल है, जहॉ श्रम सुधारों को अपनाने की गुंजाईश है और रोजगार अवसरों के घटते जाने को रोकने का माहौल भी पैदा करना होगा। नये श्रम सुरक्षा कानून कामगारों को बराबर हिस्सेदारी में शामिल करने पर और परिवार लाभ योजनाओं को स्थापित किया। विशिष्ट अवसरों के लिये नयी योजनाये आई हैं।

कोयला उत्पादन क्षेत्र में सुरक्षा के प्रावधानों में सुधार आया है, परन्तु रोजगार की अस्थायी प्रकृति, ठेकेदारी प्रथा एवं कोयला प्रक्षेत्रों में व्याप्त कामगार असंतोष से ऐसा लगता है कि निजीकरण और विदेशी पूंजी का निवेश से व्यापक परिवर्तन होगा।

**अध्ययन के उद्देश्य एवं पद्धति**

प्रस्तुत शोध आलेख के सामान्यीकरण का उद्देश्य यह लिया गया है कि औपचारिक एवं संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान कितने उपयोगी और प्रभावी कहे जा सकते हैं। इन सुरक्षा प्रावधानों को वर्तमान स्थिति में श्रमिकों के लिए लागू करने की समस्याएं हैं। क्या सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान श्रम बाजार की वर्तमान स्थितियों के हित में लागू किए जाने का औचित्य रखते हैं। नई श्रम संहिता (लेबर कोड) को कोयला खदान श्रमिकों के संबंध में प्रभावी माना जा सकता है। आवश्यकतानुसार श्रम कानूनों को संशोधन करने की गुंजाइश है। सामाजिक सुरक्षा नीतियों का विश्लेषण से सुझाव और नीतिगत मुद्दों पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। शोध आलेख को द्वितीयक आंकड़ों एवं उपलब्ध शोध कार्यों से पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मुख्यतः कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में की गई है। उनमें मापदंड प्रभावशीलता और उपलब्धियों के अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**शोधकार्यों का समीक्षात्मक विवरण**

प्रदीप देवदासन (2016) का शोध आलेख है "Social security measure for Indian workforce : A legal intervention" श्रम कानून के दायरे में सुरक्षा के प्रावधानों की वैचारिक स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास किया गया।

विलबर जे. कोहन ने लेबर बुलेटिन के मई 1953 के अंक में Social security in India आलेख लगभग 70 वर्ष पूर्व लिखा था। (ssa.gov.in) संयुक्त राष्ट्र के

सामाजिक प्रभाग (social.un.org) ने व्यापक दस्तावेज को जो वृद्ध लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा है, हाल में प्रकाशित "Status of social security and social protection floors in India" जारी किया है।

अनवारुल होदा (2017) ने "Labour regulations in India improving the social security framework (ICRIER) प्रकाशन हुआ। चरण सिंह, आयेन्द्र सान्याल, कंचन भारती (IIM, Banglore) द्वारा Social security schemes : A case for universalization का कार्यकारी दस्तावेज तैयार किया (2015) श्रम अर्थशास्त्र और औद्योगिक समाज विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत शोध समीक्षाएं की गई हैं। भारत, चीन, अमेरिका के बीच सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा हर्षित हसनवालिया, शिवानी देवला ने किया (ilsr.thelawbridge.com) 2018:4(2)। खदान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 2001 में प्रमुख दस्तावेज "Social Security : A New Conseneus" के नाम से प्रकाशित किया।

आर.के.ए सुब्रमण्यम का शोध पत्र "Social Protection of the workers in the unorganized Sector" भारतीय औद्योगिक संबंध जर्नल में 2013 में प्रकाशित किया गया। एस. महेंद्र देव एवं अन्य द्वारा संपादित पुस्तक "Social & Economic Security in India" (IHD-2001) महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक कही जा सकती है। भारत के श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लेबर कोड का सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर मुख्य अवधारणात्मक नोट (Conceptual Notes) सामने रखा है (labour.gov.in)। इन दस्तावेज के 290 पेजी विवरण में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न नीतिगत मुद्दों को रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2018 में World Social Protection Report : Universal Social Protection to achieve the sustainable development Goals, 2017-19 शीर्षक से सामने आई है (www.10daycompaign.org) एक दूसरी दस्तावेजी प्रकार का ग्रंथ (442 पेज) का ILO ने ही प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक "100 Years of Social Protection : The Road to universal Social Protection Systems and floors इसी वर्ष 2019 में जेनेवा मुख्यालय से प्रकाशित की गई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा Social Protection & Social Progress का प्रकाशन किया गया जो www.un.org/development/desa/dspd पर इंटरनेट के जरिए पढ़ा जा सकता है। अन्ना मैकार्ड (Anna McCord) की अभिलेखीय प्रकार की पुस्तक Review of the literature on Social Protection : Shock responses and readiness वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई जो ODI Resources development institute (लंदन) से तैयार की गई।

**असंगठित श्रम क्षेत्र : सामाजिक सुरक्षा का अभाव –**

भारत में 50% से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र में योगदान देने वालों का है, जो कुल कार्यबल में 80% है। असंगठित श्रमबल 50 करोड़ का है, यह 1948 में फैक्ट्री एक्ट में नहीं शामिल है। इस को चार आधार पर बांटा गया है –

1. व्यवसायिक श्रेणी में छोटे सीमांत किसान, भूमिहीन खेत मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक बुनकर आते हैं।
2. रोजगार की प्रवृत्ति श्रेणी में प्रवासी मजदूर, बंधुआ मजदूर और दैनिक मजदूर आते हैं।
3. विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में सफाई कर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले शामिल है,
4. सेवा श्रेणी घरेलू कामगार महिलाएं, नाई, सब्जी फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि आते हैं।

देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जो विशाल श्रम बाजार में मौजूद हैं –

1. बेहद कम आमदनी और अनियमित आमदनी/मजदूरी,
2. अस्थायी रोजगार, आकस्मिकता प्रधान कार्य,
3. खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा की प्रणाली कमजोर,
4. बढ़ती हुई जटिल आर्थिक जिम्मेदारियां या श्रमिकों की आय और व्यय के बीच बढ़ता अंतराल।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को 2019 में लाया गया जो 15,000/- तक मासिक पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रदान किया जाना है। इस योजना में छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु से 3,000/- की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान भी है। 29 वर्ष की आयु से जुड़ने वाले व्यक्ति को 100/- मासिक का अंषदान देना है जो 60 वर्ष पूरा होने तक चलेगा। सरकार पेंशन योजना में इतनी ही राशि हर माह जमा करेगी। पेंशन योजना से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ पहुंचाना है। प्रारंभ में 2018-19 में इस योजना में 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। 15 फरवरी, 2020 से यह योजना लागू हो गई है। अन्य क्षेत्र भी है जैसे आजीविका सुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व (मेटरनिटी) सुरक्षा, छोटे बच्चों की देखरेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ, न्यूनतम मजदूरी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं स्वच्छता से संबंधित समस्याओं को स्थानीय स्वशासन के स्तर पर कवर करना आदि। कामगारों को चिन्हित करना कठिन कार्य है। तब तक लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। 2008 में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया जो अन्य क्षेत्रों को जोड़ते हुए सामाजिक सुरक्षा योजना के निर्माण जीवन एवं विकलांगता का कवर और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और कई अन्य भी लाभ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया लागू करना तथा इन सब को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड संचालित करेगा।

भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का इतिहास 70 साल से अधिक पहले का है परंतु योजनाओं के नामकरण और संगठित क्षेत्र में सरकारी उद्यमों को औद्योगिकरण योजना में अधिक स्थान दिया गया। असंगठित कार्यबल पीछे रहा। इस दशक में असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजना को एक ही छतरी के नीचे लाने की तैयारी की गई है।

इसमें कुछ प्रमुख योजनाएं सामने आई है –

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार फ्लोटर आधार पर प्रतिवर्ष 30 हजार की स्मार्ट कार्ड आधारित नगदी रहित व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देगी।
2. सरकार ने मृत्यु और अपंगता के लिए आम आदमी बीमा योजना लागू की है,
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
4. जननी सुरक्षा योजना,
5. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

विशिष्ट व्यवसाय वाले कामगारों के लिए –

1. बीड़ी कामगार,
2. गैर कोयला खान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु कल्याण निधि।

इस क्षेत्र में कामगारों की सूची को सावधानी से बनाना होगा क्योंकि अस्थाई प्रवास से मजदूर उनकी पहचान की समस्या बनी रहती है। दूसरे 10 से कम कारीगर होने के कारण कंपनियों का लेबर एक्ट में पंजीयन नहीं होना भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने में समस्या होती है। इस संबंध में कई विचारणीय बिंदु है, जैसे–

1. असंगठित क्षेत्र का कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से विशाल होना,
2. न्यूनतम मजदूरी, ठेका प्रथा, छोटे उद्यम और उत्पादन की व्यवस्था से यह श्रम क्षेत्र समग्र नीतियों के अनुसार नहीं है।

यह सही है कि असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ कामगारों से देश की अर्थव्यवस्था का 80% योगदान होता है, परंतु अधिक विविधता और व्यवसाय की अनिश्चित प्रकृति की समय अवधि से भी सही समग्र कानून नहीं है लागू होने के व्यवहारिक पक्ष से देखना जरूरी है। चार मुद्दे हैं, जैसे – देखभाल, दुर्घटना, अपंगता मुआवजा, चिकित्सा सुविधायें और न्यूनतम वेतन, अवकाश और पेंशन सुविधाएं उन तक सुनिश्चित तरीके से पहुंच जो भारतीय श्रम बाजार में भी है।

कोयला मजदूरों को असंगठित कार्यबल में ठेके पर काम पाने की वजह से गिना जाता है। ऐसे मानव श्रम बल के लोग हैं जो साइकिल पर कोयला ले जाकर बेचते हैं तथा इससे अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। झारखंड के रामगढ़ कोयला क्षेत्र (AICCTU, 10 जनवरी, 2020 का पत्र) असंगठित कोयला मजदूरों का कन्वेंशन 23 दिसंबर, 2019 का किया गया था। जिसमें रोजगार, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए गए थे। झारखंड राज्य का रामगढ़ जिला कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। कोयला का ट्रांसपोर्ट बड़ा व्यवसाय है। ट्रकों के जरिए कोयला बाहर भेजा जाता है, इससे भी भ्रष्टाचार फैलता है। साइकिलें छीनी जाती है। कोयला माफिया का नाम सर्वविदित है। कोयला खानों के निजीकरण करने से श्रम प्रदायक ठेका पद्धति ने शोषण और सौदेबाजी को और अधिक बढ़ा दिया है। कोल इंडिया और सिंगरेनी कोल माइंस में 70,000 ठेका श्रमिक काम करते हैं। मजदूरों को उचित मजदूरी और प्रोविडेंट फंड (EPFO, CMPFO) का लाभ नहीं मिल पाता (इकोनामिक टाइम्स 13–09–2018) जबकि प्रोविडेंट फंड के दायरे में लाने का प्रावधान कर दिया गया है। धनबाद के कोयला खदान क्षेत्र में भी मजदूरों की समस्याएं बनी हुई है। The Mining Industries and Minerals Stuggles in India, (www.libcom.org) कुछ आधारभूत जानकारियां कोयला श्रमिकों की वास्तविक स्थितियों की ओर ले जाती है।

**भारत में कोयला उत्पादन ( MT : मिलियन टन में )–**

| | | |
|---|---|---|
| 1945 | - | 30 M.T. |
| 1972 | - | 72 M.T. |
| 1989 | - | 89 M.T. |
| 1992 | - | 200 M.T. |
| 2001 | - | 345 M.T. |
| 2011 | - | 526 M.T. |

सुजाता रणधीर (2016) ने नागपुर क्षेत्र के काम्पटी कोयला क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन किया। कोयला उत्पादन में मजदूरों को अधिक जोखिम भरा काम करना होता है। दुर्घटना से बचाव की पूरी सुरक्षा करना होता है। दुर्घटना की प्रकृति और जोखिम की स्थिति के अनुसार तत्काल मेडिकल सहायता और क्षति पूरक मुआवजे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देना जरूरी है। परिवार को दुर्घटना बीमा लाभ, पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्तियां मिलना प्रावधान में सम्मिलित है।

के.पी. कण्णन एवं विजय मोहनन पिल्लई (2007) ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ग्रामीण मजदूरों के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में सार्वभौमिक उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने की स्थिति का आकलन किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना को नागरिक संगठन एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से ग्रामीण मजदूरों को अधिक सक्रियता से चलाया जा सकता है। वर्तमान में मानव अधिकार और विकास के नए प्राथमिकताओं के साथ सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य योजना बन चुकी है। योजनाओं के संचालन में नियम और चिन्हित समुदाय के अलग–अलग दृष्टि से चयन भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है जो राज्य सरकार उचित संगठनों के माध्यम से अपने देष के नागरिकों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार की सुरक्षा न केवल व्यक्ति विषेष को नहीं बल्कि उसके सम्पूर्ण परिवार की सुरक्षा मुहैया कराने में सहायक होती है। रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु। इस अवस्था में व्यक्ति को सुरक्षा की आवष्यकता होती है तथा इसमें यह विषेषता होती है कि व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिये नियोक्ता द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाये।

भारतीय सामाजिक समुदाय के सबसे निचले पायदान में आने वाले कमजोर वर्ग के श्रमिक अकुशल अर्ध कुशल दलित वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे स्तर में रहने वाला वर्ग है। इन सभी वर्गों को सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक–सामाजिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं होते उनके लिए सरकारी नीतियों में कई सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित किए जाते रहे हैं जो इन वर्गों (श्रमिक) की बीमारी के समय आश्वस्त कर सके अथवा जब श्रमिक की आर्थिक,

शारीरिक रूप से सक्षम वर्ग कमाने योग्य ना हो तो इन्हें उस समय पर इसका लाभ मिल सके। उन्हें कार्य पर लगाने में सहायक हो सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान मजदूरों के समक्ष उत्पन्न संकटों से जूझने की ताकत देता है। वैश्वीकरण के चपेट में श्रमिकों को बहुत बदलाव देखना पड़ा। सरकारें रोजगार सृजन और सुरक्षा मानदंडों से पीछे हट रही है, रोजगार जाने का खतरा है। छंटनी से यह स्थिति विपरीत होती जाएगी। श्रमिक रोजगार के साथ सुरक्षा के वैयक्तिक पारिवारिक दायित्व अंशदाई योजना में परिवर्तित है अर्थात पहले कर्मचारी त्याग करें सरकारें अनुपातिक हिस्सेदारी करेंगी या इसको पूंजीपतियों, उद्यमियों के सामाजिक कार्य पूरे ढांचे पर डाल देंगे। मुक्त अर्थव्यवस्था ने रोजगार ढांचे को आगे बढ़ाया परंतु बिना किसी सामाजिक सुरक्षा से अलग तरीके की ठेकेदारी की दिहाड़ी जैसे अस्थाई तरीके से रोजगार देने की स्थिति निर्मित हो गई, जो मजदूरों के लिए घाटे का सौदा होगी परंतु विवशता और मोलतोल करने की क्षमता का लाभ पक्ष खाली जाएगा। भारत 2019 का मसौदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को आगे लाता है। ई.पी.एस. (E.P.S.) में यह निराशाजनक है कि सरकार धीरे.– धीरे अपनी भूमिका निजी कंपनियों को देना चाहेगी। मजदूर संगठनों ने 2019 के सामाजिक सुरक्षा कानून के प्रति निराशा व्यक्त की है।

सामाजिक सुरक्षा कानून संगठित और असंगठित क्षेत्र में पूंजीवादी मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की है जो मंदी या सुस्ती दिखाती भारतीय अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित होना है। भारत में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं अधिक है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में उन्नत है जिन परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाता है वे स्वास्थ्य के लिए मुआवजे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और दुर्घटना बीमा के प्रावधान प्रमुख रहे हैं जो 1952 के श्रम कानून लागू हैं। असंगठित श्रमिक अपने कार्य संस्थाओं के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ लेते हैं यद्यपि संगठित सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाएं कई कारकों से सुरक्षा प्रणाली के कर्मचारी के लाभों के बावजूद कमजोर संकेत है। यह कहा जाता है कि भारत का श्रम बाजार काफी कठोर है। न्यूनतम मजदूरी कानून पुराना है जिन्हें राज्य और सरकार नियमन करती रही है यद्यपि श्रमिक व्यवस्था में लचीलापन हो जाए तो सुरक्षा नियमन अधिक प्रभावी हो सकता है। सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के दायरे में भी नहीं आ पाए हैं। भारत में श्रमिक कार्य दशाओं को बेहतर बनाने में अलग–अलग उद्यम क्षेत्र की स्थिति पर गौर करना चाहिये। सामाजिक सुरक्षा के मानकों की बात करें तो कोयला उत्खनन उद्योग में सर्वाधिक तौर पर लागू है। खान श्रमिकों को वेतन की सुरक्षा का 1952 में नियम बना था। 1963 में मातृत्व लाभ का कानून बना, इसके पश्चात व्यवसायिक स्वास्थ्य के उपबंध को भी खान श्रमिकों के लिए लागू किया गया।

सामाजिक सुरक्षा में विचारधारा के स्तंभ के तौर पर कल्याण और सुरक्षा दोनों विचार सम्मिलित किए गए हैं। नौकरी के संबंध में सुरक्षा देने से नहीं अभी तो नौकरी में उपयुक्त दशाओं को बनाए रखने का पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के पीछे श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाना है। निजीकरण की प्रक्रिया कोयला खानों में निजी उद्यमियों का प्रवेश सचेत करता है कि मानदंडों को यथावत श्रमिकों के पक्ष में रखा जाए। सामाजिक सुरक्षा का नियमन केवल कानूनी तौर पर नहीं दिखे अपितु यह नियोक्ता बदलने के बाद निजीकरण की प्रक्रिया से भी सुरक्षित रहे। रोजगार सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा चक्र अलग हो, सामाजिक सुरक्षा नीतियां संघ के संगठित क्षेत्र में तीन मुख्य तरीके से लागू है –

1. श्रमिकों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार,
2. वैधानिक श्रम कानून का लागू होना,
3. मानव अधिकार अधिकार लागू होना।

भारत के संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में डाला गया है। यह विषय केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। यह पाया गया है कि 45 अधिनियम ऐसे हैं जो श्रमिकों से संबंधित है। देश के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 वर्ष में लागू किया गया।

कोयला खान श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा दी गई है उनका राष्ट्रीय व्यवसायिक महत्व है क्योंकि हड़तालें और श्रमिक असंतोष की घटनायें खान श्रमिकों द्वारा होती रही है। संगठित श्रमिक संघ और वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के दलों द्वारा कोयला मजदूर संघ संचालित रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की सबसे अधिक आवश्यकता किसे है ? कम पगार वाले अस्थाई श्रमिकों की अथवा अधिक पगार वाले श्रमिकों के संगठित क्षेत्र की श्रम बल हेतु सामाजिक सुरक्षा का विषय है। कोयला मजदूरों का असंतोष भारत में बड़ी घटना मानी जाती है। इससे निपटने के तरीके में सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को विस्तारित किया गया। वेतन समझौता सरकारों के दायरे का विषय रहा। घाटे के नाम पर कोयला खदानों को बंद करने का मजदूरों को लेने में ठेका प्रणाली और अनिश्चितता की ओर श्रमिकों को धकेलने का माहौल चिंताजनक है। कोयला क्षेत्र सबसे अधिक खतरे का सामना के बाद असुरक्षित मजदूरों के साथ निजीकरण की आशंका से ग्रस्त है। मजदूरों को भय है कि निजी पूंजीपतियों के हाथ के हाथ कोयला खदान बिक जाएंगी। ठेका कामगार आउटसोर्सिंग कोयला मजदूरों के पेंशन संबंधी प्रकरण को लेकर चिंता बनी रही है।

पेंशन निजीकरण में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने की कमी परिवार के लिए नौकरी अनुकंपा के प्रावधान और घाटे में चल रही खदानों को बंद करने की स्थितियां ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को ठीक से लागू होने से विपरीत दशाएं पैदा करती हैं। वेतन बोर्ड एवार्ड लागू होने की भी परेशानियां हैं इसे बहुत से मुद्दों के साथ कोयला मजदूर श्रमिक संघ उठाते रहे हैं। ई.पी.एफ.को ई.पी.एफ. के स्थान बदलने का भी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को क्षतिग्रस्त करना समझा गया है।

आखिरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का अधिकतर ग्राहय औचित्य क्या है ? दुर्घटनाएं स्वास्थ्य, जोखिम, वृद्धावस्था, आय की कमी, मृत्यु, अपंगता जैसे प्रत्यक्ष जोखिम और स्थाई प्रकृति की दिक्कतें है जिसके प्रत्युत्तर में सुरक्षात्मक कार्य और सुविधा हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक सामाजिक बीमा की योजना है। व्यक्ति के जोखिम को कवर करता है सरकारी और वृहत्त संगठनों के और राष्ट्रीय उद्यमों में सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम प्रायः चिन्हित सभी क्षेत्रों में चाहे वह कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा हो या पारिवारिक भत्ता, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति आदि पहले से है जो जीवित कर्मकार को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है और उसकी मृत्यु उपरांत परिवार की मदद को लेकर प्रावधान करती है। कर्मचारी नौकरी के प्रारंभ में भी कुछ बीमा सुनिश्चित फंड के नामांकन करके करते हैं। कोयला खान में श्रमिक भविष्य निधि उपबंध अधिनियम 1948 लागू है। अन्य मददगार योजनाएं है –

1. अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984,
2. राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984,
3. श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित 1984,
4. प्रसूति लाभ अधिनियम 1961,
5. वृद्धावस्था पेंशन योजना योजना 1982,
6. सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 1952,
7. कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम।

**लेबर कोड**
**(Labour Code)**

श्रम कल्याण के क्षेत्र में लेबर कोड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें केंद्रीय कानूनों को मिलाकर 4 वर्ग (कोड) लिए गए हैं। वर्ष 2018 में लाए गए लेबर कोड की अहमियत सर्वज्ञात है –

1. मजदूरी लेबर कोड,
2. औद्योगिक संबंध लेबर कोड–2,
3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण लेबर कोड–3,
4. व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियां लेबर कोड–4

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों पर कोर्ट का मसौदा तैयार किया गया। 22 नवंबर, 2018 को त्रिपक्षीय विचार हेतु बैठक बुलाई गई तथा मंत्रालययीन स्तर पर नोट तैयार किए गए। आगे इस दिशा में तैयारी की गई। इस संदर्भ में खान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के लिए डिजिटल प्रणाली भी बनाई गई है, जो श्रम कानूनों को कोयला खान श्रमिकों के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

वर्ष 2019 में सामाजिक सुरक्षा बिल लोकसभा में आया। इसके पुराने 44 श्रम कानूनों की जगह पर नई संहिता को जोड़ा गया है। नई संहिताएं 4 वर्ग में एकीकृत है जो सामाजिक सुरक्षा, वेतन, औद्योगिक संबंध और सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम के हालात पर नियत की गई है। श्रम पर गठित स्थाई समिति के समक्ष पेशागत सुरक्षा स्वास्थ्य और काम के हालात संबंधी संहिता है। विचार हेतु रेफर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी केंद्रीय श्रम कानून के 8 हिस्से विलीन करके 4 श्रम संहिता में पुर्नगठित किया जाना है। ऐसे प्रमुख पुराने कानून श्रमिकों से संबंधित हैं –

1. एम्पलाइज कंपनसेशन एक्ट 1923,
2. एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948,
3. एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस,
4. प्रोविजंस एक्ट 1952,
5. मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961,
6. पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972,
7. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वकर्स सेस एक्ट 1997,
8. अन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008,
9. सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981।

इसमें नई व्यवस्था से सामाजिक सुरक्षा कोष बनाए जाने का प्रावधान किया गया जिसमें सोशल कारपोरेट रिस्पांसबिल्टी की व्यवस्था जोड़ी गई है। मजदूरों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा की एवं संहिता के तहत 166 धारा बनाई गई है जो 22 खंडों और 6 अनुसूचियों में वर्गीकृत हुई है। आज मजदूर यूनियन इन नए प्रावधानों के पक्ष में कम और विरोध में ज्यादा है। मुक्त अर्थव्यवस्था निजीकरण और कॉरपोरेट लॉबी का दबाव है, संगठित क्षेत्र में भी छंटनी का खतरा बढ़ा है। सामाजिक सुरक्षा की नई संहितायें जो सामने है। उसमें लाभ पद की शब्दावली निहित है। सामाजिक सुरक्षा को मजदूरों के अधिकार की शब्दावली से बाहर कर दिया गया है।

वर्तमान सामाजिक सुरक्षा का भारतीय स्वरूप पहले या 1948 के उपरांत बदला है। बीमा उन्मुख सामाजिक सुरक्षा चक्र का युग आया है जिसमें सामाजिक सुरक्षा चक्र का युग आया है जिसमें अटल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना तथा वय वंदन योजना को आगे किया गया है। व्यक्ति याने श्रमिक परिवार यानी श्रमिक मजदूर का परिवार के साथ वे लोग भी आएंगे जो पहले नहीं पात्र माने गए थे अर्थात सभी तरीके से वंचित गरीबों को शामिल करना है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा को पूरा करना है, पेंशन लाभों को विस्तारित करना और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को प्रदान करना। यह सामाजिक सुरक्षा योजना में अधिक सफल हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की भी प्रगति इसके साथ हुई है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण का प्राथमिक कदम है।

खाद्य सुरक्षा के इस प्रावधान को काफी उपयोगी माना गया है जो 100% केंद्र सरकार की फंडिंग से होती है। सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सबको अपना घर होना चाहिए के लक्षण में पाया गया। जो मकान स्वीकृत है उनके आधार पर बीमा सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। लाभार्थी जो सुरक्षा बीमा से लाभ प्राप्त करते हैं उनके आधार कार्ड और प्रमाणन का कार्य किया जाता है। प्रत्यक्ष भुगतान आधार कार्ड आधारित है और डिजिटल फॉर्मेट किए जाने लगे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 नई सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निर्धनों को सहारा नहीं शक्ति चाहिए। श्रम करने वालों के लिए सरकारें नियोक्ताओं को बाध्य करती है कि कानून के रूप में लागू योजनाओं के लिए तैयार रहें अथवा धन लगावें परंतु कर्मचारी बीमा के लिए औपचारिक जंजीरों से बचने की आदत रही है इसलिए कर्मचारी बीमा का अनुपात कहीं पीछे है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्मचारी अपने और अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के स्रोत है। इस अवधारणा का बदलाव हुआ है जैसे सामाजिक सुरक्षा एक समग्र अधिनियम है जिसका निर्माण व्यक्ति को आर्थिक अभाव से बचाने के लिए और व्यक्ति खुद के लिए तथा उसके आश्रित के लिए उन्हें आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति से बचाने हेतु एक निश्चित न्यूनतम आय के लिए इस संहिता को बंद किया गया है। वर्तमान परिवेश में श्रमिक संगठित क्षेत्र में चिंतित है जो निजीकरण प्रक्रियाओं की देन है। असंगठित क्षेत्र में भी आशंका उठती रहती है। भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः परिवार पर केंद्रित है जिसमें कर्मचारी का परिवार सामने रखा गया है। व्यक्तिकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सामूहिक सुरक्षा बीमा में स्थानांतरित अधिक एवं केंद्रित है दूसरे क्रम में पारिवारिक एवं संगठित श्रमिक सुरक्षा के लिए उपाय हुए हैं। 2018 में पहली बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा रणनीति में स्थान दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए द्वितीय श्रम आयोग की अनुशंसा को लागू करने की आवश्यकता है। कर्मचारी बीमा फंड (ई.पी.एफ.) पर नई पहल भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि राज्य अंशदान नियोक्ता अंशदान में कमी की जाने से फंड बाजार परिस्थितियों और फंड सिक्योरिटीज पर निर्भर हो जाएगा जो निजीकरण तथा भूमंडलीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों के सामने कर्मचारी हित को कमजोर कर सकता है। अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी भत्ता योजनाओं पर चर्चाएं हैं इन पर प्रयोगों की सफलता वांछित होगी।

कोयला उत्पादन का इतिहास पुराना है जो 1774 से शुरू होता है। भारत में दामोदर नदी के पश्चिमी तट के साथ रानीगंज कोलफील्ड में मेसर्स सुमेर एण्ड ईस्ट इण्डिया कंपनी के हीटली (Heatley) से प्रारंभ हुआ 220 वर्ष का कोयला खनन का इतिहास बिहार और नये झारखण्ड राज्य का भी इतिहास खनिज संसाधन खण्ड में आता है। 1853 में भाप के इंजनों की शुरूआत से कोयला की मॉग बढ़ी। भारत प्रतिवर्ष 612 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता रखता है। प्रथम विश्व युद्ध में उत्पादन बढ़ा परन्तु 30 के दशक की मंदी से प्रभावित हुआ। उत्पादन गहराई तक कोयला क्षेत्र में 30 मीटर तक वर्ष 1946 तक पहुॅच गया।

स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का गठन हुआ। दक्षिण भारत में सिंगरैनी कोयला कम्पनी स्वतंत्रता के पहले से चालू थी। इसी तरह WCL भी आन्ध्र प्रदेश और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में चलती रही। झरिया कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है जो वर्तमान में झारखण्ड राज्य में स्थित है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1973 पहली बार 1971-72 में किया गया। दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में बनाया गया। 01-05-1973 को पूरी तैयारी की दिशा में कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के साथ पूरा हुआ। कोयला मजदूरों के हित में यूनियन सक्रिय रही है। इनमें भारतीय मजदूर संघ (BMS), हिन्द खदान मजदूर संघ (HMS), इण्डियन माइन्स वर्कस फेडरेशन ( AITUC ), आल इण्डिया कोल वर्कस फेडरेशन (CITU) के साथ आल इण्डिया काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU) कार्यरत है। कोयला खान राष्ट्रीयकरण के बाद कर्मचारी हित की यूनियन प्रायः खदान मजदूरों के बीच अधिक क्रियाशील रही क्योंकि लाखों मजदूरों को यहॉ पर रोजगार मिला हुआ था।

## निष्कर्ष

भारत का श्रम बाजार अत्यंत विशाल है। 50 करोड़ तक का कार्यबल संगठित क्षेत्र में 10% एवं 90% असंगठित क्षेत्र में कार्यशील है। श्रम बाजार के कामगारों के हित के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू की गयी है जो अलग–अलग सेक्टर में भी विशिष्ट ढंग से निष्पादित की जाती हैं ताकि अधिकतम श्रमिकों को परिवार और संस्थागत ढंग से सुरक्षा मिले । असंगठित क्षेत्र बड़ा है, जहॉ मजदूरी, काम की अवधि और श्रम संविदाकरण की समस्यायें हैं। कोयला खानों में भी मजदूरों को लाखों तादात में रोजगार मिला हुआ है। उन्हें दुर्घटना, स्वास्थ्य, परिवार बीमा आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कोयला उपक्रमों द्वारा लाभ दिलाया जाता है, परन्तु कोयला उद्योग में निजीकरण और विदेशी पूॅजी निवेश का भय व्याप्त है। ठेकेदारी का दबाव है जिससे कोयला मजदूर संशकित रहते हैं। भारत में लेबर यूनियनों में कोयला मजदूर यूनियनें है जो नये लेबर कोड (2019) के प्रावधानों के सम्बंध में हड़ताल भी कर चुके हैं। मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की भी समस्यायें हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा असंगठित श्रम क्षेत्र में बढ़ाया जाना आवश्यक है।

**टिप्पणी –**

**II. कोयला मजदूरों की संख्या –**

| | | |
|---|---|---|
| 1951 | - | 350,000 |
| 1972 | - | 1,100,000 |

**III. कोल इण्डिया में स्थायी मजदूर –**

| | | |
|---|---|---|
| 1981 | - | 700,000 |
| 2003 | - | 650,000 |

**IV. मैन पॉवर –**

| **कोल प्रदाता उपक्रम** | | **01.03.2019** |
|---|---|---|
| ECL | - | 59,878 |
| BCCL | - | 56,189 |
| CCL | - | 30,264 |
| WCL | - | 43,141 |
| SECL | - | 55,350 |
| MCL | - | 22,497 |
| NCL | - | 14,515 |
| CMPDI | - | 3,284 |
| CIL (HQ) NEC | - | 2,311 |
| **योग** | **:** | **286,429** |

**2017-18 : 299,703**
*Annual Report : Coal.nic.in*

**संदर्भ सूची**

*इण्डिया वाटर पोर्टल–सामाजिक सुरक्षा*
*मेहनतकश–अक्टूबर, 2, 2015*
*भारतीय मजदूर संघ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के चौथे मसौदे को निराशाजनक बताया, नवभारत टाइम्स, 28 अक्टूबर, 2019*
*प्रदीप अग्रवाल, श्रम नीतियाँ और श्रम कल्याण : अर्न्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, योजना, अप्रैल, 2017*
*श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, सामान्य समीक्षा,*
*Shodhganga, Inflibnet Labour Supply in the Coal Mining Industry.*
*धीरंग झा, भारत में श्रम सुधार, योजना, अप्रैल, 2017, 13–15*
*नई दुनिया, कोरबा, 21 मई, 2017*
*नम्रता गौरव, असंगठित कोयला मजदूर और सामाजिक सुरक्षा, प्रणेता पब्लिकेशन–2018, रांची*
*अमित त्यागी, श्रमिकों के अधिकार : एक अवलोकन, योजना, अप्रैल, 2017 : 47–48*
*अनुज लुगुन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, प्रभात खबर, मई 11, 2018, राँची*
*Anthapedia, Social Protection Floor (SPF).*
*B.R.Seth, Labour in Indian Coal Industry-1940.*
*Dhiraj Kumar Nite, The Colleries Town and Labour Migration : An Inquiry into the modern industrial reproduction arrangement in an Indian Coalfield, 1895-1970, TISS, Mumbai.*
*DW-12.12.19 Blog शिव प्रसाद जोशी*
*GOI, rural.nic.in राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का प्रदर्शन*
*K.P.Kannan, Social Security in India, The loug Towards Universalization Centre for development Studies, June-2007, Trivendrum, Kerala.*
*R.K.Subramanya, Social Protection of Workers in the Unorganised Sector, Indian Journal of industrial Relations, 48(3) 2013.*
*Sujata Randheer, A Study of Welfare Work and Social Security of Coal Mine Labourers at Kamptee, Kanchan and Saoner in Nagpur District, GE-International Journal of Management Research, 4(1), April, 2016.*
*World Bank, Social Protection for a changing India, 18th may, 2011*